न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –49/2022

दायर दिनांक –21.06.2022

निर्णय दिनांक – 07.09.2022

जीसीएमएस नं0 –2022/129

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शर्मा ग्रीन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. जरिये निदेशक राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भैरूबक्श शर्मा जाति ब्राह्मण एवं श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी केशवनगर, परबतसर जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। 2. हल्का पटवारी, पटवारी हल्का कडैल, तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 3. श्रीमती मधु गोयल पत्नी श्री सुनील कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी 420/23, सीताराम बाजार, केसरगंज, अजमेर। 4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी ग्राम कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–1.श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. श्री चंद्रप्रकाश शर्मा, अधि0, अप्रार्थी सं0 3
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं0 494 रकबा 1.26 है0 पर काश्त के लिये आने जाने हेतु प्रार्थी के पास व[illegible] कोई रिकार्डेड रास्ता/मार्ग आदि मौजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:30 IST
Reason: SelfAttested

07.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

..। आवागमन व कृषि कार्य करने के लिए उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान हेतु करीबन 30 ..ट चौड़ा नया रास्ता चाहने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री चंद्रप्रकाश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29.08.2022 को अप्रार्थी सं0 03 को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। दिनांक 01.08.2022 को अप्रार्थी सं0 04 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 द्वारा न्यायालय में हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/राजस्व/2022/2266 दिनांक 22.07.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि '' प्रार्थी ने ग्राम कडैल के ख.नं. 494 तक आने जाने हेतु 30 फीट चौडे रास्ते हेतु निवेदन किया है। उक्त ख.नं. 494 मधुगोयल पत्नी सुनील कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी 420/23 सीताराम बाजार केसरगंज अजमेर के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 490 लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कडैल खातेदार के नाम दर्ज है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ख.नं. 493 के सहारे–सहारे, ख.नं. 490 व ख.नं. 489 में स्थित है।

ख. नं.	कुल रकबा मय किस्म	रास्ते का क्षेत्रफल (लं. X चौ. वर्ग मीटर)	वि.वि
490	0.06 चाही 2	28 X 9.144=256 वर्ग मीटर = 260 वर्ग मीटर (पूर्णांकित)	सड़क के पास आबादी से दूर
489	0.63 चाही 2	192 X 9.144=1756 वर्ग मीटर =1760 वर्ग मीटर (पूर्णांकित)	सड़क से दूर आबादी से दूर

प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 491 गै.मु.रास्ता से शुरू होकर ख.नं. 493 तथा ख.नं. 490 तथा 489 के मध्य के मेड़ के सहारे–सहारे होता हुआ ख.नं. 490 व 489 से गुजरकर ख.नं. 494 में पहुंचता है। ग्राम कडैल के ख.नं. 494 में जाने हेतु ख.नं. 490, 489 में से होकर 30 फीट चौडाई का मार्ग दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त ... जाने वाले क्षेत्र से डी.एल.सी की गणना निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:30 IST
Reason: SelfAttested

02.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

[illegible]		कुल रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर प्रति हैक्टेयर	दुगुनी राशि पूर्णांकित (प्रस्तावित रास्ता)
[illegible]	490	0.06	चाही 2	260	1997079	51925 X 2 = 103850
	489	0.63	चाही 2	1760	1246796	219437 X 2 = 438874
				योग		542724

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 494 तक अन्य कोई पंहुच मार्ग उपलब्ध नहीं है, अतः प्रार्थी को नियमानुसार उक्त न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन व अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है। यह निकटतम पहुॅच मार्ग है, साथ ही प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता भी है। अतः प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता दिया जावें। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि यह रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का है तथा यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है साथ ही प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव होकर यह निकटतम रास्ता है जिसमें अप्रार्थीगण की कृषि योग्य भूमि का न्यूनतम क्षय कारित होगा। अतः प्रार्थी की कृषि आराजी भूमि के खसरा नंबर 494 रकबा 1.26 है0 के लिए आवागमन हेतु लघुतम/निकटतम मार्ग चौडाई 30 फीट खसरा नम्बर 489, 490 (खातेदारी) में से देना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है । इस हेतु तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को वितरित की जावें एवं राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार सार्वजनिक रास्ते/मार्ग का अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व ग्राम कड़ैल तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.63 है0, खसरा नं.490 रकबा 0.06 है0 के प्रभावित रकबे को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकॉर्ड किया जावें एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम की जावें (संलग्न नक्शे को निर्णय का भाग समझा जावें) आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को वितरित की जावें।

07.9.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:30 IST
Reason: SelfAttested

	खसरा नं0	खातेदार का नाम	कुल रकबा (है0)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर प्रति हैक्ट0	दुगुनी राशि पूर्णांकित
1.	490	लक्ष्मी पत्नी रामचंद्र हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	0.06	चाही 2	260	1997079	103850
2.	489	मधु गोयल पत्नी सुनील कुमार गोयल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल सा. 420/23 सीमाराम बाजार केसरगंज अजमेर	0.63	चाही 2	1760	1246796	438874
प्रार्थी द्वारा जमा करवाई जाने वाली कुल राशि							542724

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

07.9.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:30 IST
Reason: SelfAttested

N

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम - कड़ेल
तहसील - पुष्कर
जिला - अजमेर
राजस्थान

S

सन् १९७१-७२ संवत् २०२८-२९

संकेत

प्रस्तावित न्यूनतम दूरी का रास्ता

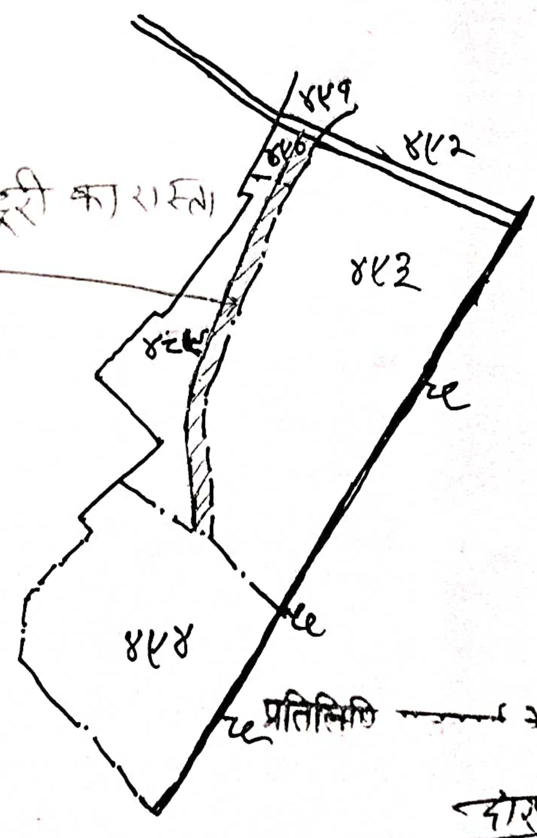

प्रतिलिपि [illegible] नि:शुल्क जारी।

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)

22.7.22
पटवारी
पटवार मण्डल कड़ेल
तहसील-पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested